पत्रांकः– वन भूमि–26 / 2020 387 (ई०) / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारूल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, रॉंची–834002

पटना–15, दिनांक 21/03/2020

विषय :– नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्त्ति के लिए Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.04252 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना का पत्रांक–FC-269 दिनांक–13.03.2020 यथासंशोधित पत्रांक–FC-297 दिनांक–21.03.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी(वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

उक्त परियोजना का निर्माण नालंदा जिलान्तर्गत पेय जल आपूर्त्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उदेश्य से किया जाना है। प्रासंगिक पत्र द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली कुल–36.04252 हे० भूमि की विवरणी निम्न प्रकार से अंकित की गयी है:–

क्र० सं०	भूमि की विवरणी	अपयोजित होने वाली भूमि का प्रस्तावित रकवा	
		एकड़ में	हेक्टेयर में
1	अधिसूचित वन भूमि (अधिसूचना संख्या / वनभूमि / 12 / 82 / 3266 दिनांक–02.09.1983) Notified Forest Land	66.233	26.81478
2	खतियान में जंगल झाड़ी अंकित स्वत्व प्रकृति, गैर मजरूआ मालिक जमीन (Gairmazarua Malik Land Having nature of jungle jhar in survey khatiyan)	16.493	6.67713
3	खतियान में जंगल झाड़ी अंकित स्वत्व प्रकृति, रैयती जमीन (Rayati Land Having nature of jungle jhar in survey khatiyan)	6.3	2.55061
	कुल	89.025	36.04252

वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की विवरणी निम्न प्रकार से अंकित की गई है:–

क्र० सं०	परियोजना का नाम	भूमि का प्रकार	रकवा (हे० में)	वृक्षों की संख्या		
				Translocate	Cut	Total
1	गंगा जल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्त्ति के लिये Reservoir के निर्माण	अधिसूचित वनभूमि (अधिसूचना संख्या / वनभ्मूमि / 12 / 82 / 3266 दिनांक– 02.09.1983) Notified Forest land	26.81478	27	27	54
		खतियान में जंगल झाड़ी अंकित स्वत्व प्रकृति, गैर मजरूआ मालिक जमीन (Gairmazarua Malik Land Having nature of junge jhar in survey khatiyan)	6.67713	51	175	226
		खतियान में जंगल / जंगल झाड़ी अंकित स्वत्व प्रकृति, रैयती जमीन	2.550607	4	10	14
		कुल–	36.04252	82	212	294

विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण–पत्र की प्रति एवं तत्संबंधी कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वनभूमि, राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी एवं इसके इको सेंसेटिव जौन से बाहर है तथा परियोजना क्षेत्र राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र से लगभग 04 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि (36.04252 हे०) को चिन्हित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा के द्वारा विवरणी उपलब्ध करायी है, जो निम्नवत् है :–

क्र. सं.	प्रखंड	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	बेन	खैरा	371	457	647	14.95	गैर माजरूआ मालिक
2	बिलारी	कतरीसराय	305	417	5666	15.00	गैर माजरूआ मालिक
3	कान्दोपुर	गिरियक	350	विभिन्न खाता	विभिन्न खेसरा	24.17	बीज गुणक प्रक्षेत्र (कृषि विभाग)
4	मखदूमपुर	गिरियक	348	69	25	7.975	गैर माजरूआ मालिक
5	नेकपुर	राजगीर	486	166	3181	5.00	गैर माजरूआ मालिक वो ठेकेदार
6	ननंद	सिलाव	440	727	921	19.75	गैर माजरूआ मालिक
7	मरसुआ	बेन	382	101	1413	2.18	गैर माजरूआ मालिक
	कुल					**89.025 एकड या 36.04252 हे०**	

उक्त स्थलों का स्थलवार निरीक्षण प्रतिवेदन, GPS Reading, Land Suitability Certificate, Geo-referenced Map, Toposheet एवं KML File वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो संलग्न है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वनभूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को हस्तांतरित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की सूचना के साथ क्षतिपूरक वनीकरण एवं मृदा जल संरक्षण कार्य हेतु प्राक्कलन शीघ्र समर्पित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 36.04252 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,25,62,618/–(दो करोड़ पचीस लाख बासठ हजार छः सौ अठारह रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जएगा एवं पातित वृक्षों से प्राप्त काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1108/– रूपये प्रति घनमीटर के दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

4. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि को वनरोपण योग्य स्थिति में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने एवं इसका Mutation पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में कराये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाएगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिया गया निर्णय राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

21/3/2020

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी

PART-V

Van Bhumi-26//2020

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

17. Recommendation of the State Government.

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon).

The proposal for diversion of 36.04252 ha. of forest land for construction of Reservoir for supply of drinking Water in District-Nalanda, Bihar may be sanctioned subject to the conditions/stipulations mentioned in the forwarding letter.

Signature

Name & Designation : (Mokhtarul Haque)
Advisor

(Official Seal) सलाहकार पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार, पटना

Date 21/03/2020

Place Patna